

(39)
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक: एफ.1(2)(2)नपा/रानिआ/94/3243

जयपुर, दिनांक : 16.11.99

आदेश

राज्य में नगरपालिकाओं एवं पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग निम्नांकित आदेश जारी करता है :-

1. उक्त निर्वाचनों में किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसे कृत्रिम (डमी) मतपत्र मुद्रित कराये जा सकते हैं जिसमें उसका अपना नाम आदि का प्रयोग करते हुए वह जगह उपदर्शित की है जहां वह निर्वाचन में प्रयोग में लाये जाने वाले मतपत्र दिखाई दे परन्तु उसमें वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले किसी अन्य अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक नहीं होने चाहिए। कृत्रिम मतपत्र का आकार या रंग असली मतपत्र के सदृश्य नहीं होना चाहिये।
2. राजनैतिक दल या अभ्यर्थी मतदाताओं को ऐसी अशासकीय पर्चियां जारी कर सकते हैं जिनमें निम्न सूचना दी गई हो :-
 - (क) नगरपालिका या यथास्थिति, पंचायती राज संस्था का नाम।
 - (ख) वार्ड या, यथास्थिति, निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक।
 - (ग) निर्वाचन नामावली की भाग संख्या (नगरपालिका निर्वाचन की स्थिति में)
 - (घ) निर्वाचन नामावली में मतदाता का नाम और क्रम संख्या।
 - (ङ) मतदान केन्द्र की क्रम संख्या और नाम।

पहचान पर्चियां सफेद कागज पर होनी चाहिए और उनमें अभ्यर्थी का नाम या उसके दल का नाम या उसके निर्वाचन प्रतीक नहीं दिये जायेंगे ऐसी पर्चियों में किसी दल या किसी अभ्यर्थी को वोट देने से संबंधित कोई नारा या प्रबोधन भी नहीं होगा। मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी ऐसी पर्ची का संचरण (Circulation) जिसमें ऐसा कोई नारा या प्रबोधन अंकित हो, निषिद्ध रहेगा।

आज्ञा से,

-ह0-

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर